71

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक पुनरीक्षण 1024–एक/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.05.07 पारित द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर निग. 590 अ–6/02–03

1) फुल्ली तनय मोहन
2) राजेन्द्र तनय गोली
निवासीगण ग्राम पिपट तहसील–राजनगर
जिला– छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1) मिजाजी तनय रामसहाय
निवासी ग्राम पिपट तहसील–राजनगर
जिला– छतरपुर (म.प्र.)
2) अरविंद कुमार 3) जयकरण ना.बा.
संरक्षक पिता महेन्द्र कुमार तनय हीरालाल
निवासी ग्राम जमुनिया तहसील राजनगर
जिला – छतरपुर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदकगण
श्री एम.पी. भटनागर अधिवकता, अनावेदक कं. 1

आदेश

(आज दिनांक 5–08–2016 को पारित)

यह पुनरीक्षण अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर के निग. प्र.कं. 590 अ–6/02–03 में पारित आदेश दिनांक 18.5.07 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2– आवेदक / अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पिपट तहसील राजनगर में स्थित भूमि ख.नं. 1020, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1051, 1052 कुल किता 8 कुल रकवा 0.963 हे. भूमियो के भूमिस्वामी परशुराम थे परशुराम ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 1.2.1999 से अनावेदक कं. 2 व 3 को विकय कर दी। अनावेदक कं. 2 व 3 ने अपने नाम नामांतरण कराने बावत तहसील न्यायालय में आवेदन दिया तहसील न्यायालय से उक्त प्रकरण सहायक बंदोवस्त अधिकारी दल कं. 3 छतरपुर के समक्ष निराकरण हेतु अंतरित हुआ। सहायक बंदोवस्त अधिकारी के न्यायालय में रा.प्र.कं. 91/अ–6/98–99 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की जिसमें अनावेदक कं. 1 मिजाजी ने ख.नं. 1045, 1047, 1051 पर आपत्ति प्रस्तुत की सहायक बंदोवस्त अधिकारी ने पूर्ण प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर एवं प्रस्तुत दस्तावेजों व उनकी सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.6.2000 द्वारा विक्रेता परशुराम के स्थान पर क्रेता अनावेदक क्र. 2 व 3 के नाम वादग्रस्त भूमि पर नामांतरण स्वीकृत किया। आदेश दिनांक 30.6.2000 के विरूद्ध अनावेदक क्र. 1 मिजाजी ने अपर कलेक्टर छतरपुर के समक्ष अपील की जो प्र.कं. 8/अपील/अ–6/02–03 पर पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 29.11.02 द्वारा अपील आंशिक मान्य कर सहायक बंदोवस्त अधिकारी का आदेश दिनांक 30.6.2000 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार

राजनगर के समक्ष प्रत्यावर्तित किये जाने का आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर के समक्ष लंबित प्रकरण दौरान अनावेदक कं. 2 व 3 ने रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 1.07.02 द्वारा भूमि ख.नं. 1020, 1043, 1045, 1046, 1047, 1049, 1051, 1052 कुल किता 8 कुल रकवा 0.963 है0 भूमि आवेदकगण को विक्रय कर दी उक्त विक्रय पत्र के आधार पर तहसीलदार राजनगर ने प्रकरण कं. 124/अ–6/01–02 पंजीबद्ध कर आदेश दिनांक 25.7.02 को आवेदकगण के नाम नामांतरण स्वीकृत किये जाने का आदेश पारित किया। अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिंक 29.11.02 के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कमिश्नर सागर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जो आदेश दिनांक 18.5.07 द्वारा निरस्त की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

4– निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

5– उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त भूमि का अभिलेखित भूमिस्वामी परशुराम था परशुराम को उक्त भूमि विकय करने का पूर्ण अधिकार था परशुराम के विरूद्ध अनोवदक मिजाजी ने कभी कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया न ही किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न किया था। परशुराम ने वाद भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से अनावेदक कं. 2 व 3 को विक्रय की उक्त विक्रय पत्र के आधार पर क्रेता अनावेदक क्र. 2 व 3 ने नामांतरण हेतु आवेदन दिया उक्त नामांतरण कार्यवाही में अनावेदक क्र 1 मिजाजी ने सर्वे नं. 1045, 1047, 1051 तीनों सर्वे नम्बर पर उसने अपना 2/3 हिस्सा बताया लेकिन साक्ष्य एवं प्रस्तुत दस्तावेज से अपना स्वत्व प्रमाणित नहीं कर सका। इस आधार

पर आपत्ति निरस्त करते हुये आदेश दिनांक 30.6.2000 द्वारा क्रेता अनावेदक क्र 2 व 3 का नामांतरण स्वीकृत किया। उक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक मिजाजी ने अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी की उक्त निगरानी लंबितदौरान अनावेदक 2 व 3 ने वाद भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से आवेदकगण को विक्रय कर दी। उक्त विक्रय पत्र के आधार पर आवेदकगण का आदेश दिनांक 25.07.02 द्वारा नामांतरण किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश के पालन में आवेदक का राजस्व अभिलेख में भी अमल हो गया। आवेदकगण के नामांतरण आदेश को अनावेदक कं. 1 मिजाजी ने कोई चुनौती नहीं दी। अपर कलेक्टर ने अनावेदक कं. 1 की निगरानीआदेश दिनांक 29.11.02 द्वारा आंशिक स्वीकार कर प्रकरण तहसील न्यायालय में प्रत्यावर्तित किये जाने के विरूद्ध आवेदकगण ने अपर कमिश्नर सागर के समक्ष चुनौती दी थी क्योंकि आवेदक ने वाद भूमि क्रय कर ली थी उसका नामांतरण भी हो गया था अपर आयुक्त सागर ने उक्त निगरानी निरस्त कर दी अनावेदक मिजाजी ने सहायक बदोवस्त अधिकारीके समक्ष लंबित प्रकरण दौरान पृथक से एक अन्य प्रकरण संहिता की धारा 113 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था जो प्र.कं. 10सी–129/98–99 पर दर्ज होकर आदेश दिनांक 21.5.01 द्वारा मिजाजी का आवेदन निरस्त किया है। अनावेदक कं. 1 मिजाजी उक्त प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि वाद भूमि पर उसका किस प्रकार से स्वत्व है। बिना स्वत्व प्रमाणित किये व्यकित की निगरानी अपर कलेक्टर ने आंशिक मान्य कर प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में त्रुटि की थी जिसे अपर कमिश्नर ने स्थिर रखने में भूल की। इस प्रकार अपर कलेक्टर छतरपुर एवं अपर आयुक्त सागर ने प्रकरण के तथ्यों एवं आधारों पर विधिवत विचार नहीं किया है। उक्त दोनों

न्यायालयों के आदेश विधिवत एवं उचित नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त सागर संभाग, सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.5.07 तथा अपर कलेक्टर छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.11.2002 विधिवत एवं औचित्यपूर्ण नहीं होने से निरस्त किये जाकर अनावेदक क्रं. 2 व 3 के पक्ष में सहायक बंदोवस्त अधिकारी दलकं. 3 छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.6.2000 एवं तत्पश्चात क्रेता आवेदकगण के पक्ष में तहसीलदार राजनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2002 स्थिर रखे जाकर यह निगरानी स्वीकार की जाती है।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर